हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
30 July 2025

खबर संक्षेप

तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार नहीं रह जाता

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तलाक के बाद महिला ने पत्नी का दर्जा खो दिया है इसलिए पति की संपत्ति पर उसका अधिकार और दावा नहीं बनता है। विवाह विच्छेद के बाद पति द्वारा मकान खरीदे जाने के बाद सिविल कोर्ट में आवेदन देने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि महिला और युवक ने कानूनी रूप से शादी की थी लेकिन 31 मार्च 2014 को दोनों के बीच तलाक भी हो गया था। इसलिए पत्नी का पति की संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार पत्नी के रूप में समाप्त हो गया। याचिका के मुताबिक 11 मई 2007 को रायगढ़ निवासी जिंदल स्टील के कर्मचारी ने प्रेम विवाह किया था। चारित्रिक रूप से एक दूसरे पर लांछन लगाए जाने के कारण दोनों 2010 से अलग-अलग रह रहे थे। अंततः पति ने तलाक के लिए सिविल वाद दायर किया। फैमिली कोर्ट रायगढ़ ने 31 मार्च 2014 को तलाक की डिक्री का आदेश पारित कर दिया।